अध्याय–2: खनिज प्राप्तियाँ

2.1 कर प्रशासन

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 54 (सूची 1) एवं राज्य सूची की प्रविष्टि 23 (सूची 2) के अनुसार खनिज संसाधनों का प्रबंधन केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन दोनों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र शासन ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एम.एम.डी.आर.) अधिनियम, 1957 (जनवरी 2015 में संशोधित) लागू किया जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त खान एवं खनिजों के विनियमन हेतु कानूनी प्रावधान प्रावधानित करता है। एम.एम.डी.आर. अधिनियम 1957 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अनेक नियम बनाए गए हैं। केन्द्र शासन ने खनिज रियायत नियम (एम.सी.आर.), 1960 बनाया है। एम.एम. डी.आर., अधिनियम के अंतर्गत गौण खनिज के संबंध में खनि पट्टों के विनियमन एवं खनि पट्टे प्रदान करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य शासन को है। तदनुसार, राज्य शासन द्वारा 'छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम' (सी.एम.एम.आर.), 2015 बनाया गया था।

पूर्वेक्षण एवं खनन संक्रियाएं केवल नियमों के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्ति या खनि पट्टे के द्वारा ही किया जा सकता है। खनिज प्राप्तियों में मुख्यतः पट्टे/अनुज्ञप्ति/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन फीस, रायल्टी, अनिवार्य भाटक[1], सतह कर, जुर्माने एवं दंड, देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज आदि शामिल हैं। खनि पट्टेदारों द्वारा पट्टा क्षेत्र से खनिज के प्रेषण के पूर्व रायल्टी देय है।

प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, शासन स्तर पर विभाग प्रमुख है तथा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म (सं.भौ.ख.) विभागीय स्तर पर विभाग प्रमुख है जो खनि अधिनियम एवं नियमों के प्रशासन एवं लागू करने हेतु उत्तरदायी है। संचालनालय के अंतर्गत तीन क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, जगदलपुर एवं रायपुर में स्थित हैं जो संयुक्त संचालकों के अधीन हैं एवं राज्य में स्थित खनिजों के पूर्वेक्षण, सर्वे एवं नमूनीकरण हेतु जिम्मेदार हैं।

प्रत्येक जिले में जिला खनिज कार्यालय स्थित हैं जो संबंधित जिला कलेक्टर के अधीन हैं। राज्य में 27 उप संचालक खनिज प्रशासन (उ.सं.ख.प्र.)/जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.)/सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.) हैं जो जिला कलेक्टर की सहायता करते हैं। जिला खनिज कार्यालयों में पदस्थ 50 खनिज निरीक्षक (ख.नि.) उनके नियंत्रण के अंतर्गत राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण, खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा अन्य गतिविधियाँ जिससे राजस्व की चोरी हो सकती है, को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, खनिजों की चोरी एवं रायल्टी के अपवंचन रोकने के लिए एक उड़नदस्ता है जो संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के प्रति जिम्मेदार है।

---

[1] अनिवार्य भाटक प्रति वर्ष देय न्यूनतम रायल्टी है। जब देय रायल्टी जमा किये गये अनिवार्य भाटक से ज्यादा हो जाता है, तो पट्टेदार अनिवार्य भाटक की राशि के ऊपर की रकम के लिए रायल्टी देगा।

2.2 आंतरिक नियंत्रण

2.2.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.इ.) है जो उप संचालक (वित्त एवं प्रशासन) के अधीन है तथा इसके अंतर्गत तीन लेखापरीक्षक के पद स्वीकृत है।

आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तृत विवरण **तालिका 2.1** में वर्णित है:

तालिका 2.1: आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तृत विवरण

वर्ष	कार्यालयों की कुल संख्या	आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु स्वीकृत पद[2]	पदस्थ	लेखापरीक्षा हेतु चयनित कार्यालयों की संख्या	लेखापरीक्षित कार्यालयों की संख्या	जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	राशि (₹)
2012–13	30	04	02	13	10	10	निरंक
2013–14	30	04	02	13	13	13	निरंक
2014–15	30	04	02	07	07	07	निरंक
2015–16	30	04	03	16	16	16	निरंक
2016–17	30	04	03	14	14	14	निरंक
योग				**63**	**60**	**60**	**निरंक**

(स्रोतः संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

यद्यपि आं.ले.इ. में कर्मचारियों की कमी थी, वर्ष 2013–14 से आगे के वर्षों में विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित सभी कार्यालयों की लेखापरीक्षा संपादित की गयी एवं वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि में कुल 60 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ[3] जिलों में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से वर्ष 2012–13 एवं 2016–17 के मध्य मुख्य खनिजों तथा गौण खनिजों में लंबित निर्धारण के प्रकरणों को इंगित किया था। इंगित किये जाने के बावजूद उप संचालक (खनि प्रशा.)/जिला खनिज अधिकारियों द्वारा लंबित निर्धारण के प्रकरणों को पूर्ण करने हेतु कोई उपाय नहीं किया गया।

विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई की निगरानी उप संचालक (वित्त) द्वारा किया जा रहा था। जैसे ही आं.ले.इ. द्वारा आपत्तियों को इंगित किया जाता था उन्हें स्थल पर ही सुधार कर लिया जाता था।

उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि नमूना परीक्षित नौ जिलों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य खनिज के 90 प्रकरणों में निर्धारण नहीं किया गया था।

2.2.2 खनिज निरीक्षकों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण

सं.भौ.ख. के द्वारा मई 2008 को जारी निर्देश के अनुसार खनिज निरीक्षकों को अपने कार्यक्षेत्र के अधीन मुख्य एवं गौण खदानों का प्रत्येक छः माह में एक बार यह सुनिश्चित

[2] उप संचालक (वित्त एवं प्रशासन) सहित

[3] उ.सं.ख.प्र. कोरबा एवं रायगढ़; जि.ख.अ. बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, कांकेर और सरगुजा

करने के लिए निरीक्षण करना है कि खनन पट्टे में वर्णित नियम एवं शर्तों का पालन किया जा रहा है, जैसे पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन कार्य न हो, खान के अंदर कार्यरत मजदूरों की संख्या, अभिलेख संतोषप्रद तरीके से संधारित किए जा रहे हों, प्रतिदिन उत्पादित खनिज की मात्रा एवं पट्टा क्षेत्र का उचित सीमांकन किया गया हो।

लेखापरीक्षा ने खनिज निरीक्षकों के स्वीकृत पद की तुलना में कार्यरत पद में कमी देखी जैसा कि **तालिका 2.2** में वर्णित है:

तालिका 2.2
खनिज निरीक्षकों के स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों का विवरण

वर्ष	खनिज निरीक्षकों के स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	
			संख्या	प्रतिशत
2012–13	21	14	7	33.33
2013–14	21	14	7	33.33
2014–15	23	15	8	34.78
2015–16	23	18	5	21.74
2016–17	23	20	3	13.04

लेखापरीक्षा ने देखा कि स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत पदों की कमी के अलावा विद्यमान खनिज निरीक्षकों ने पर्याप्त संख्या में निरीक्षण नहीं किया। नमूना परीक्षित नौ[4] उ.सं.ख.प्र. /जि.ख.अ. की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि में खनि पट्टों के संदर्भ में लक्ष्य के विरूद्ध केवल 37 से 53 प्रतिशत (886 में से 369) एवं उत्खनि पट्टों के संदर्भ में 18 से 39 प्रतिशत (7,988 में से 2,061) पट्टों का निरीक्षण किया गया।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (नवंबर 2017)।

2.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2016–17 में लेखापरीक्षा द्वारा खनिज साधन विभाग की 17 इकाईयों में से नौ[5] इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। इसके अलावा अप्रैल 2017 से जून 2017 के मध्य आठ[6] जिला खनिज कार्यालयों की लेखापरीक्षा संपादित की गयी। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा क्रमशः राशि ₹ 3,709.52 करोड़ तथा ₹ 4,141.47 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया जिसमें लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा क्रमशः राशि ₹ 569.36 करोड़ तथा ₹ 3,228.45 करोड़ संग्रहीत की गयी। लेखापरीक्षा ने 1,819 प्रकरणों में राशि ₹ 2,616.51 करोड़ की अनियमिततायें पायी, जिसका विवरण **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	रायल्टी एवं ब्याज का निर्धारण न करना/अवनिर्धारण	38	32.51
2.	अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का अनारोपण/न्यून आरोपण	106	5.14

[4] उ.सं.ख.प्र. कोरबा एवं रायगढ़; जि.ख.अ. बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, कांकेर एवं सरगुजा

[5] जि.ख.अ., बालोद, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा एवं सं.भौ.ख., रायपुर

[6] उ.सं.ख.प्र. कोरबा और रायगढ़; जि.ख.अ. बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा एवं कांकेर

3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का न्यून आरोपण/कम वसूली	60	48.08
4.	खनन पट्टे के अधीन भूमि पर भू–राजस्व का अनारोपण	780	158.37
5.	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की योगदान राशि की कम वसूली	41	13.74
6.	अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि की अवसूली/कम वसूली	328	86.66
7.	अन्य अनियमिततायें[7]	466	2,272.01
	योग	**1,819**	**2,616.51**

विभाग ने 321 प्रकरणों में राशि ₹ 41.40 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की एवं दो प्रकरणों में राशि ₹ 1.44 करोड़ की वसूली की। शेष प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा, विभाग के साथ प्रकरणों का अनुशीलन किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग ने पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 12 प्रकरणों में राशि ₹ 1.04 करोड़ की वसूली की। वसूली की गयी राशि में से राशि ₹ 1.01 करोड़ वर्ष 2011–12 के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित थे।

2.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा ने नौ कंडिकाओं में राशि ₹ 22.26 करोड़ की विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया था, जिसके विरूद्ध विभाग ने राशि ₹ 14.94 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार कीं तथा राशि ₹ 2.86 लाख की वसूली की। इन नौ कंडिकाओं में से तीन कंडिकाओं का चयन लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा किया गया जिसमें से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015–16 की एक कंडिका पर अगस्त 2017 में चर्चा की गयी।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए 'स्टैण्ड अलोन' प्रतिवेदन में सम्मिलित 'मुख्य एवं गौण खनिज प्राप्तियों का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण' पर संपादन निष्पादन लेखापरीक्षा में पट्टों का अनियमित प्रबंधन, अवैध उत्खनन, रायल्टी का निर्धारण न होना/अवनिर्धारण एवं संग्रहण, परिवहन पास का दुरूपयोग, आदि का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया था। उक्त प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति में चर्चा किया जाना शेष है।

लोक लेखा समिति ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 के संबंध में वर्ष 2011–12 में (93वां अनुशंसा) विभाग को अनुशंसा एवं निर्देश दिया है कि विभाग उन अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करे तथा चेतावनी जारी करे जो नियमों एवं प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं ताकि खदानों के निष्क्रिय होने की पुनरावृत्ति न हो।

खनिज साधन विभाग द्वारा सूचित किया (सितम्बर 2018) गया कि लोक लेखा समिति के अनुशंसाओं एवं निर्देशों के परिपालन में खदानों के निष्क्रिय होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही जारी की गयी है। परन्तु विभाग ने खदान निष्क्रिय न हो इस संबंध में कोई तंत्र विकसित नहीं किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ इकाईयों[8] में 30 खदानें निष्क्रिय थी (31 मार्च 2017 की स्थिति में)।

---

[7] अन्य अनियमितताओं में सतह कर की वसूली न होना, भंडारण अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक फीस की अवसूली आदि सम्मिलित है।

[8] उ.सं.ख.प्र कोरबा एवं रायगढ़; जि.ख.अ. बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, कांकेर और सरगुजा।

2.5 मिडलिंग एवं रिजेक्ट के बीजक मूल्य पर रायल्टी का अनारोपण

सं.भौ.ख. द्वारा कोयला/मिडलिंग/रिजेक्ट के विक्रय मात्रा, ग्रेड एवं बीजक मूल्य प्राप्त करने हेतु कोई प्रणाली सुनिश्चित न किये जाने से रायल्टी की राशि ₹ 9.86 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

एम.सी.आर., 1960 प्रावधानित करता है कि जब कभी भी मिडलिंग[9] एवं रिजेक्ट पट्टा क्षेत्र से विक्रय या बाद की तिथि में उपयोग किये जाएंगे उन पर रायल्टी का भुगतान देय होगा। भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 10 मई 2012 के अनुसार कोयले पर मूल्यानुसार बीजक में अंकित कोयले के विक्रय मूल्य पर, कर को छोड़कर, 14 प्रतिशत की दर से रायल्टी देय होगी। आगे, एम.सी.आर., 1960 के अंतर्गत रायल्टी के विलंबित भुगतान पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूलनीय है।

कोयला मंत्रालय (भारत सरकार) ने उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ के अंतर्गत मे. सारडा एनर्जी एवं इंडस्ट्रीज को केवल स्पंज आयरन प्लांट एवं कैप्टिव पावर प्लांट में कैप्टिव प्रयोजन हेतु कोल ब्लॉक[10] आबंटित किया (दिसम्बर 2003)। पट्टेदार द्वारा कोल वॉशरी की स्थापना की गयी एवं वॉश कोल का कैप्टिव उपयोग किया गया। तत्पश्चात, भारत सरकार ने पट्टेदार को 4.96 लाख मैट्रिक टन तक मिडलिंग तथा 1.35 लाख मैट्रिक टन तक रिजेक्ट बेचने की अनुमति दी (फरवरी 2014), जिसके बाद पट्टेदार ने मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य राशि ₹ 1,595/– से ₹ 2,000/– एवं ₹ 895/– से ₹ 1,000/– प्रति मैट्रिक टन तक मूल्य के मिडलिंग एवं रिजेक्ट बेचे।

कार्यालय उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ में उपलब्ध मासिक पत्रकों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने देखा कि पट्टेदार ने मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य 15.80 लाख मैट्रिक टन कोयला, जिसमें मिडलिंग, रिजेक्ट, वाश्ड कोल एवं आर.ओ.एम.[11] शामिल थे, का प्रेषण किया (कैप्टिव खपत एवं विक्रय दोनों के लिए)। पट्टेदार ने संपूर्ण कोयले की मात्रा को आर.ओ.एम. मानकर (जैसे नियमों में प्रावधानित है) ग्रेड[12] के अनुसार (उक्त स्थल के लिए कोयला नियंत्रक द्वारा जी–12, जी–14 एवं जी–17 के रूप में घोषित) आधार मूल्य क्रमशः राशि ₹ 890, ₹ 740 एवं ₹ 540 प्रति मैट्रिक टन रायल्टी का भुगतान किया। प्रेषित मात्रा में 4.87 लाख मैट्रिक टन मिडलिंग एवं 1.24 लाख मैट्रिक टन रिजेक्ट शामिल थे जिन्हें विभिन्न फर्मों को बेचा गया (मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य)। यद्यपि मासिक पत्रकों में पट्टेदार ने मिडलिंग एवं रिजेक्ट की मात्रा को दर्शाया, पट्टेदार ने मिडलिंग एवं रिजेक्ट के विक्रय मूल्य को नहीं दर्शाया क्योंकि मासिक पत्रक के प्रारूप के अनुसार इसे दर्शाया जाना आवश्यक नहीं था। परिणामस्वरूप, उ.सं.ख.प्र. ने मिडलिंग एवं रिजेक्ट के वास्तविक विक्रय मूल्य के आधार पर रायल्टी की गणना न कर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घोषित आर.ओ.एम. के आधार मूल्य के अनुसार रायल्टी की गणना की।

चूंकि मिडलिंग एवं रिजेक्ट के विक्रय मूल्य की जानकारी उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ में उपलब्ध नहीं थी तथा अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रदाय नहीं किया गया, लेखापरीक्षा ने उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ में उपलब्ध माह अक्टूबर 2014 के विक्रय मूल्य को विक्रय किये गये मिडलिंग एवं रिजेक्ट के देय रायल्टी निर्धारण के लिए लागू किया। लेखापरीक्षा ने 6.11

---

9 मिडलिंग/रिजेक्ट कोयला, कोयले के धुलाई/बेनेफिशिएशन प्रक्रिया में सह–उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं

10 गारे पल्मा IV/7 कोल ब्लॉक 335.76 हेक्टेयर क्षेत्र में, पट्टा अवधि 25.10.2005 से 24.10.2035

11 कोयला जो सीधे खान से निकलते हैं। जबकि अधिकतर आर.ओ.एम. की धुलाई की जाती है तथा मिडलिंग और रिजेक्ट को अलग किया जाता है, कुछ आर.ओ.एम. कच्चे रूप में भी प्रेषित किये जाते हैं।

12 कोयले को कैलोरिफिक मूल्य के आधार पर जी–1 से जी–17 के पैमाने पर ग्रेडिंग किया जाता है; जी–1 उच्चतम ग्रेड का होता है तथा जी–17 निम्नतम ग्रेड का होता है।

लाख[13] मैट्रिक टन मिडलिंग एवं रिजेक्ट पर कुल देय रायल्टी की राशि ₹ 13.04 करोड़ की गणना की। फर्म ने इन्हें आर.ओ.एम. मानकर पहले ही राशि ₹ 6.19 करोड़[14] के रायल्टी का भुगतान किया था। इस प्रकार, उ.सं.ख.प्र. द्वारा विक्रय किये गये मिडलिंग एवं रिजेक्ट को आर.ओ.एम. मानकर निर्धारण (अप्रैल 2015) किये जाने से रायल्टी की राशि ₹ 6.85 करोड़ का कम निर्धारण हुआ साथ ही उसपर राशि ₹ 3.01 करोड़[15] का ब्याज भी वसूलनीय था।

मार्च 2015 में पट्टेदार ने कोयला मंत्रालय (भारत सरकार) को पट्टा समर्पण कर दिया। मार्च 2015 के मासिक पत्रक के अनुसार, खदान में 4.12 लाख मैट्रिक टन कोयला शेष था, जिसे बाद में या तो बेचा गया या कोल नियंत्रक की अनुमति से अन्य संयत्र को स्थानांतरित किया गया।

आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि जून 2014 और मार्च 2014 में क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर एवं केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केन्द्र (सी.आई.एम.एफ.आर.), बिलासपुर द्वारा किये गये रासायनिक विश्लेषण के अनुसार मिडलिंग एवं रिजेक्ट जी–17 से जी–15, अर्थात ग्रेडेड कोयले थे। इसके अलावा, कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान कोयला के जी–15 ग्रेड के आधार मूल्य राशि ₹ 680 प्रति मैट्रिक टन से बहुत अधिक दर में राशि ₹ 2,000 प्रति मैट्रिक टन की दर से मिडलिंग बेची जो यह दर्शाता है कि मिडलिंग वास्तव में उच्च्य ग्रेड कोयले थे। अतः कोयला, जिसे मिडलिंग/रिजेक्ट कहा गया था, वास्तव में मिडलिंग/रिजेक्ट नहीं थे बल्कि ग्रेडेड कोयले थे। इस प्रकार, मिडलिंग एवं रिजेक्ट की आड़ में ग्रेडेड कोयले की बिक्री की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 मई 2012 के बाद, राज्य सं.भौ.ख. को अलग मासिक पत्रक शुरू करके (क्योंकि मौजूदा मासिक पत्रक में बीजक मूल्य दर्शित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था) या कुछ अन्य विधि/प्रणाली अपनाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि सभी पट्टेदार किसी भी समय बेचे गये कोयले/मिडलिंग/रिजेक्ट की मात्रा एवं बीजक मूल्य प्रस्तुत करें।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2017) और कहा कि बीजक में दर्शाये गये आधार मूल्य के 14 प्रतिशत की दर के आधार पर मिडलिंग और रिजेक्ट पर रायल्टी का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। विभाग ने अवधि 2012–13 से 2015–16 के लिए निर्धारण किया और रायल्टी की राशि ₹ 1.43 करोड़ की वसूली की (मई 2018)। लेखापरीक्षा ने रायल्टी की गणना के सत्यापन के लिए माहवार निर्धारण विवरण की मांग की, जो अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया (अगस्त 2018)।

अनुशंसाः

विभाग (i) लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत करे, (ii) मासिक पत्रक के प्रारूप को संशोधित करने पर विचार करे ताकि मासिक पत्रक में विक्रय किये गये मिडलिंग/रिजेक्ट कोयले की मात्रा और मूल्य का विवरण भी दर्शाया जा सके, (iii) बीजक में दर्शाये गये आधार मूल्य पर लागू दरों के अनुसार रायल्टी की वसूली सुनिश्चित करे।

---

13 4.87 लाख मैट्रिक टन मिडलिंग और 1.24 लाख मैट्रिक टन रिजेक्ट = 6.11 लाख मैट्रिक टन

14 औसत रायल्टी = ₹ 124.6 (जी–12) + ₹ 103.6 (जी–14) + ₹ 75.6 (जी–17)/3 = ₹ 101.27; 6.11 लाख मैट्रिक टन x ₹ 101.27 = ₹ 6.19 करोड़

15 देय ब्याज = ₹ 6.85 करोड़ x 22/12 (माह) x 0.24 (ब्याज दर) = ₹ 3.01 करोड़

2.6 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

चार प्रकरणों में खनन योजना के पुनरीक्षण या आई.बी.एम. द्वारा बाद में औसत विक्रय मूल्य घोषित करने पर अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की राशि ₹ 19.45 करोड़ की वसूली करने में जि.ख.अ. विफल रहे।

मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (मार्च 1993) के अनुसार, जैसा कि छत्तीसगढ़ में लागू है, मुद्रांक शुल्क (मु.शु.) एवं पंजीयन फीस (पं.फी.)[16] की गणना आवेदन पत्र में दिये गये दर्शित उत्पादन की मात्रा या खनन योजना में दिए गए अनुमानित उत्पादन की मात्रा, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन का आदेश (नवंबर 2011) प्रावधानित करता है कि यदि पट्टेदार पट्टे के करारनामे के निष्पादन के पश्चात् खनन योजना संशोधित करता है तो नई उत्खनन योजना के अनुसार अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का भुगतान करेगा। आगे, लौह अयस्क के प्रकरण में, पट्टेदार को भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा किसी माह के औसत विक्रय मूल्य प्रकाशित करने पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर की राशि के भुगतान हेतु वचन देना चाहिए।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जांच में चार प्रकरणों में राशि ₹ 19.45 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण पाया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

(i) जि.ख.अ., कांकेर के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2017) में पाया गया कि मार्च 2016 में खनन योजना के संशोधन के पश्चात्, एक पट्टेदार मे. बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि., द्वारा मु.शु. की राशि ₹ 2.16 करोड[17] एवं पं.फी. की राशि ₹ 1.62 करोड[18] का भुगतान किया जाना था। तथापि, जि.ख.अ. संशोधित खनन योजना के अनुसार मु.शु. की राशि ₹ 79.03 लाख एवं पं.फी. की राशि ₹ 59.27 लाख के अंतर की राशि हेतु पट्टेदार को मांगपत्र जारी करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 1.38 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2017)।

(ii) जि.ख.अ., कांकेर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो[19] खनि पट्टेदारों के प्रकरण में तीन पट्टा करारनामा संपादित किया गया (अक्टूबर 2014 एवं अगस्त 2016), जिसमें विगत माह के रायल्टी की उपलब्ध दर के आधार पर खनन योजना में वर्णित लौह अयस्क के अनुमानित उत्पादन 13.49 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष पर मु.शु. की राशि ₹ 9.99 करोड़ एवं पं.फी. की राशि ₹ 7.66 करोड़ का भुगतान किया। तथापि, आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय मूल्य के आधार पर मु.शु. की राशि ₹ 20.41 करोड़ एवं पं.फी. की राशि ₹ 15.31 करोड़ आरोपणीय था। तथापि, जिला खनिज अधिकारी मु. शु. एवं पं.फी. के अंतर की राशि के लिए मांगपत्र जारी करने में विफल रहा जिसके फलस्वरूप मु.शु. एवं पं.फी. की राशि ₹ 18.07 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2017)।

---

16 मु.शु. भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत समय–समय पर लागू दर से आरोपणीय है। पं.फी., मु. शु. के 75 प्रतिशत की दर से आरोपणीय है।

17 पांच वर्ष के लिए औसत वार्षिक उत्पादन = 18,38,481 मैट्रिक टन/5 = 3,67,696 मैट्रिक टन; मु.शु. = 3,67,696 मैट्रिक टन x ₹ 235 (रायल्टी की दर) x 5 गुणा x 5 प्रतिशत (मु.शु. की दर) = ₹ 2,16,02,140

18 पं.फी. = ₹ 2,16,02,140 x 75 प्रतिशत = ₹ 1,62,01,605

19 मे. गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड (138.96 हेक्टेयर, 50 वर्ष के लिए पट्टा); मे. जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमि. (25 हेक्टेयर, 50 वर्ष के लिए पट्टा और 14.40 हेक्टेयर, 30 वर्ष के लिए पट्टा)

2.7 अनिवार्य भाटक की अवसूली/कम वसूली

आठ उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. की मांग एवं वसूली पंजी की समीक्षा और मांग पत्र जारी करने में विफलता के कारण 36 खनि/उत्खनि पट्टेदारों से अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की राशि ₹ 1.07 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 तथा सी.एम.एम.आर., 2015 के अनुसार खनि तथा उत्खनि पट्टेदारों को पूरे वर्ष के लिए अग्रिम में अनिवार्य भाटक का भुगतान करना है, जिसमें विफल होने पर देय तिथि की समाप्ति के साठ दिन के बाद 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय है।

आठ[20] जिला खनिज कार्यालयों में पट्टा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 196 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों में खनि/उत्खनि पट्टेदारों ने वर्ष 2011 से 2017 के लिए राशि ₹ 47.41 लाख के अनिवार्य भाटक का भुगतान नहीं किया। इसी तरह, अन्य 18 पट्टेदारों ने वर्ष 2012 से 2017 के लिए अनिवार्य भाटक की राशि ₹ 40.14 लाख का कम भुगतान किया। उक्त राशि पर मार्च 2017 तक ब्याज की राशि ₹ 19.78 लाख देय थी। उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. की समय–समय पर मांग और वसूली पंजी (खतौनी) की समीक्षा करने एवं देय राशि एवं ब्याज की वसूली हेतु मांग पत्र जारी करने में विफलता के कारण अनिवार्य भाटक एवं ब्याज की राशि ₹ 1.07 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2017)।

2.8 खनन पट्टे के अधीन भूमि पर भू–राजस्व का अनारोपण

सात उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. ने 694 खनि पट्टों पर अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि के लिए राशि ₹ 177.60 करोड़ के भू–राजस्व का आरोपण नहीं किया।

छत्तीसगढ़ खनन पट्टे, खदान पट्टे के अधीन भूमि पर निर्धारण नियम, 1987 (दिसंबर 2011 में संशोधित) के अनुसार खनन पट्टे के अधीन भूमियों पर राशि ₹ 1,000 और ₹ 25,000 के मध्य विभिन्न दरों पर भू–राजस्व देय है।

सात जिलों[21] में खनि एवं उत्खनि पट्टा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. ने अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि के लिए 694 खनि/उत्खनि पट्टों के अधीन भूमियों पर भू–राजस्व का आरोपण नहीं किया। परिणामस्वरूप, भू–राजस्व की राशि ₹ 177.60 करोड़ की अवसूली हुई।

खनिज साधन विभाग ने कहा (नवंबर 2017) कि चूंकि यह भू–राजस्व का मुद्दा था, मामला राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार खनिज साधन विभाग खनन क्षेत्रों के अधीन भूमि से भू–राजस्व की राशि एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था।

अनुशंसा:

खनिज साधन विभाग सभी जिलों में खनन क्षेत्रों के अंतर्गत भूमि से भू–राजस्व के संग्रहण करने हेतु समीक्षा करे।

---

20 बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़ एवं सरगुजा (अंबिकापुर)

21 बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़ एवं सरगुजा (अंबिकापुर)

2.9 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) में योगदान की राशि की कम वसूली

पांच उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. ने एन.एम.ई.टी. के लिए वसूलनीय राशि ₹ 21.73 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 15.67 की वसूली की, जिसके कारण राशि ₹ 6.06 करोड़ की कम वसूली हुई।

एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 (जनवरी 2015 में संशोधित) यह प्रावधानित करता है कि खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति–सह–खनन पट्टा धारक रायल्टी की राशि के दो प्रतिशत के बराबर ट्रस्ट को भुगतान करेगा। अगस्त 2015 में भारत सरकार द्वारा ट्रस्ट की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद, सं.भौ.ख. ने कलेक्टरों को भूतलक्षी प्रभाव से जनवरी 2015 से ट्रस्ट को राशि भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया (फरवरी 2016)।

पाँच[22] उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. कार्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि जनवरी 2015 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान मुख्य खनिजों से रायल्टी के रूप में राशि ₹ 1,086.64 करोड़ की प्राप्ति हुई। रायल्टी के दो प्रतिशत एन.एम.ई.टी. की राशि ₹ 21.73 करोड़ के विरूद्ध केवल राशि ₹ 15.67 करोड़ की वसूली हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रस्ट के लिए राशि ₹ 6.06 करोड़ की कम वसूली हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2017)।

2.10 अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अवसूली/कम वसूली

सात उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. ने उत्खनि एवं खनि पट्टों से अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि ₹ 42.30 करोड़ की अवसूली/कम वसूली की।

छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा के अधीन भूमि पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर देय है जो कोयला खनि पट्टा के लिए प्रत्येक टन वार्षिक प्रेषण पर पांच रूपये की दर से और गौण खनिज पट्टों के लिए 15 जून 2015 तक रायल्टी की राशि का पांच प्रतिशत तथा 16 जून 2015 से 7.5 प्रतिशत की दर से देय है।

अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की अवसूली पर एक कंडिका वर्ष 2012 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्या 4 में शामिल किया गया था। इसके बाद, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (आर.डी.एम.) विभाग ने सचिव, खनिज साधन विभाग को स्पष्ट किया (फरवरी 2016) कि अधिनियम के अनुसार उपकर का आरोपण उत्खनि पट्टों से भी किया जाना चाहिए।

खनिज साधन विभाग में खनिज के प्रेषण एवं देय रायल्टी का विवरण संधारित होता है एवं उपकर खनिज के प्रेषण/रायल्टी पर देय है। इस प्रकार, स्पष्टीकरण पत्र के बाद सं.भौ.ख. को आर.डी.एम. विभाग से समन्वय से उपकर की वसूली हेतु एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए थी।

सात जिलों[23] में खनि पट्टा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संबंधित उ.सं.ख.प्र./जि.ख.अ. 2012–13 से 2016–17[24] की अवधि के दौरान उत्खनि पट्टों से रायल्टी की राशि ₹ 363.55 करोड़ पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की

---

[22] उ.सं.ख.प्र. बलौदाबाजार, रायगढ़ एवं जि.ख.अ. बलरामपुर, कांकेर एवं सरगुजा (अंबिकापुर)

[23] सरगुजा, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा एवं रायगढ़

[24] बलौदाबाजार एवं जांजगीर–चांपा को छोड़कर जहां वर्ष 2016–17 में राशि ₹ 1.81 करोड़ की वसूली की गयी

राशि ₹ 41.90 करोड़ की वसूली करने में विफल रहे। इसके अलावा, उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ के खनि पट्टों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि मुख्य खनि पट्टे की समाप्ति के समय एक पट्टेदार[25] ने अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि ₹ 11.19 लाख का भुगतान नहीं किया। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टेदार ने अप्रैल 2015 एवं जून 2015 के मध्य 2.89 लाख मैट्रिक टन अंतिम स्टॉक का प्रेषण किया। तथापि उ.सं.ख.प्र. अंतिम स्टॉक के प्रेषण पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि ₹ 28.95 लाख तथा बकाया की राशि ₹ 11.19 लाख की वसूली करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप उपकर की राशि ₹ 42.30 करोड़ की कम वसूली हुई।

खनिज साधन विभाग ने कहा (नवंबर 2017) कि मामला आर.डी.एम. विभाग से संबंधित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनिज साधन विभाग के पास एक पट्टेदार के संबंध में प्रेषित खनिजों की मात्रा और भुगतान की गयी रायल्टी का विवरण रहता है। चूंकि अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि खनिज के प्रेषण एवं रायल्टी पर देय है, इसलिए विभाग प्रभावी ढंग से उपकर की राशि की वसूली कर सकता है। आगे, मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की कंडिका 4.3 के जवाब में सचिव, खनिज साधन विभाग ने राज्य लोक लेखा समिति को अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर के आरोपण एवं वसूली हेतु आश्वासन दिया था (फरवरी 2016)।

[25] मे. सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड